प्रेस नोट

दिनांक 10.04.2025

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-97/25, धारा 191(2),191(3),190,109,324(4),115(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों-01. राजेश कुमार पुत्र पारसनाथ, 02. सुमित कुमार पुत्र विनोद कुमार, 03. नन्द कुमार मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा निवासीगण ग्रा0 टेंगहना पो0 रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा को ग्राम टेंगहना से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.04.2025 को वादी गिरजाशंकर तिवारी पुत्र कृष्ण दत्त तिवारी नि0 ग्रा0 टेंगनहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसका भाई आशुतोष त्रिपाठी तहसील कर्नलगंज से अपनी कार से घर आ रहा था कि वंधिया घाट पुल के पास विपक्षीगणों द्वारा गाड़ी रोककर जानलेवा हमला करते हुए लाठी-डण्डे व फरसें से उसके भाई को मारा-पीटा गया है। जिससे उसके भाई को गम्भीर चोटे आयी है। जिसे जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया है। वादी की तहरीर पर थाना कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 10.04.2025 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 03 आरोपी अभियुक्तों-01. राजेश कुमार पुत्र पारसनाथ, 02. सुमित कुमार पुत्र विनोद कुमार, 03. नन्द कुमार मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा निवासीगण ग्रा0 टेंगहना पो0 रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा को ग्राम टेंगहना से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. राजेश कुमार पुत्र पारसनाथ नि0 ग्रा0 टेंगहना पो0 रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. सुमित कुमार पुत्र विनोद कुमार नि0 ग्रा0 टेंगहना पो0 रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. नन्द कुमार मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा नि0 ग्रा0 टेंगहना पो0 रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-97/25, धारा 191(2),191(3),190,109,324(4),115(2) बीएनएस थाना कर्नलगंज गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. अति0 प्र0नि0 अरविन्द कुमार थाना कर्नलगंज।
02. का0 प्रमोद यादव।
03. का0 माधव मुरारी मिश्रा।
04. का0 लालूराम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 10.04.2025

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से 04 गैरइरादतन हत्याभियुक्तों को हुई 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 12,000-12,000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा-

दिनांक 01.08.2020 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्रान्तगत ताश खेलने के विवाद को लेकर विपक्षी राजू, श्रवण, झब्बर व नकछेद पुत्रगण स्व0 गया प्रसाद द्वारा झूरे पुत्र कल्लू, बसन्त पुत्र झूरे व विनोद पुत्र झूरे को लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था। जिससे झूरे को गम्भीर चोटे आयी थी और उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विपक्षीगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 रतन कुमार पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.09.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना उमरीबेगमगंज के मु0अ0सं0-164/20, धारा 304/34,506 भादवि में अभियोजक श्री बसन्त शुक्ला, थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया अनीता राज द्वारा अभियुक्तगण राजू, श्रवण, झब्बर व नकछेद पुत्रगण स्व0 गया प्रसाद को दोषसिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 12,000-12,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. राजू पुत्र स्व0 गया प्रसाद नि0 ग्राम व पोस्ट अमदही थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
02. नकछेद पुत्र स्व0 गया प्रसाद नि0 ग्राम व पोस्ट अमदही थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
03. श्रवण पुत्र स्व0 गया प्रसाद नि0 ग्राम व पोस्ट अमदही थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
04. झब्बर पुत्र स्व0 गया प्रसाद नि0 ग्राम व पोस्ट अमदही थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-164/2020, धारा 304/34,506 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।